

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 67/2023  
दिनांक: 6 मार्च, 2024

विषय: भूटान, बहरीन और मॉरीशस को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संबंधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना संख्या 49/2023 के पैरा 3 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निम्नलिखित देशों को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है:

क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा
1.	भूटान	550 मी.ट.
2.	बहरीन	3000 मी.ट.
3.	मॉरीशस	12000 मी.ट.

2. अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से उपर्युक्त देशों को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात अधिसूचित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी  
6.3.2024

(संतोष कुमार सारंगी)  
महानिदेशक विदेश व्यापार  
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/50/विविध/एएम21/ई-26586 से जारी)